न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.)

दीवानी मूल प्रकरण संख्या 06/2025

उम्मेद राम वगैरह बनाम विजय राज वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.03.2026	वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रतिवादी दलाराम पुत्र बस्तीराम, निवासी डेगाना गांव का देहान्त दिनांक 25/10/2025 हो चुका है, जिसके पीछे निम्न उतराधिकार व वारिसान है :– 1. दिनेश पुत्र श्री दलाराम, 2. राकेश पुत्र श्री दलाराम, 3. बाउ देवी पत्नी श्री दलाराम, निवासीयान डेगाना गांव, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान प्रतिवादी दलाराम पुत्र बस्तीराम के उपरोक्त कायम मुकामान को रेकर्ड पर लिये जाकर उनके के स्थान पर पक्षकार स्थापित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रतिवादी दलाराम पुत्र बस्तीराम के कायम मुकामान को रेकर्ड पर लिये जाकर उनको प्रतिवादी दलाराम पुत्र बस्तीराम के स्थान पर प्रतिवादी पक्षकार स्थातिप फरमाये जावें। उक्त प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई गई, जिनकी ओर से लिखित जवाब पेश नहीं करते हुए सीधे मौखिक बहस सुनाते हुए कथन किया गया कि वादी ने प्रार्थना पत्र विलंब से पेश किया है। अतः ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।	

प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं बहस के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी दलाराम की मृत्यु दिनांक 25.10.2025 को होना बताई गया है और प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2025 को पेश कर दिया गया है, जो कि विहित समयावधि के अंदर पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र विलंब से पेश किया जाना नहीं माना जा सकता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मृतक प्रतिवादी दलाराम पुत्र बस्तीराम के निम्न वारिसान को वादी संख्या 7/1 लगायत 7/3 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है :-

7/1. दिनेश पुत्र श्री दलाराम,

7/2. राकेश पुत्र श्री दलाराम,

7/3. बाउ देवी पत्नी श्री दलाराम, निवासीयान डेगाना गांव, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान।

उक्त वारिसान को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 16.04.2026 को पेश हो।